

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ०।४६६७।

जबलपुर, दिनांक २२/०९/२०२१

श्रीमती स्वाती जोशी, पत्नि स्व. श्री महेश जोशी, को जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट के पद पर वेतन बैंड-१ में वेतनमान रूपये ५२००- २०२० + ग्रेड पे रु. १९००/- (७ वें वेतनमान में लेवल ४ पे मेट्रीक्स १९५००-६२०००) के (न्यूनतम निश्चित मूल वेतन पर) निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी मुद्रलेखन/CPCT Score Card of MAPIT से उत्तीर्ण करने तथा डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन उत्तीर्ण करने की शर्तों को शिथिल करते हुए अरथाई एवं रक्षानापन रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर की रक्षापना पर निम्नांकित शर्तों के अधीन अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उन्हें उक्त शैक्षणिक अहता ३ वर्ष में मान्यता प्राप्त सरथान से उत्तीर्ण करना होगा, असफल रहने पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर पदावनत (Reverted) किया जावेगा :-

१. यह कि वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।

२. यह कि वे १५ दिवस के अंदर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर के कार्यालय में उपरिथित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संरक्षा द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

३. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियाँ पूर्व में प्रस्तुत की गई थीं की मूलप्रतियाँ को लेकर उपरिथित होंगी। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि वे अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करती हैं तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा।

४. यह कि, उन्हें स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा रखरखयता परीक्षण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वरक्ष्यता का प्रमाण-पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

५. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगी और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगी। उन्हें स्वाध्यायी छात्रा के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

6. यह कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

7. यह कि, उनकी सेवाये बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगी तो उन्हे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।

8. यह कि उन्हें किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

9. यह कि उन्हें नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी।

10. यह कि उन्हें लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे एवं सभी शर्तों के संबंध में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा।

11. यह कि वे पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

12. यह कि उन्हें शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रिसिपल रजिस्ट्रार दे सकेंगे।



22.9.21
 (राजेन्द्र कुमार वाई)
 रजिस्ट्रार जनरल
 Par

पृष्ठांकन क्रमांक 014670 /

जबलपुर, दिनांक : 22 / 09 / 2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्डौर, इन्डौर (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई./ई./आई.एल /एकजाम एंड लेवर ज्यूडिशियरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार (एम.)/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. एस.पी.एस.ए. (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र., खण्डपीठ इन्डौर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1702103001 एम्प्लाई डेटाबेस में प्रविष्टि कराने हेतु अग्रेषित.

6. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इन्दौर
7. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. ज्वाइट रजिस्ट्रार (एम.)..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
9. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.)..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.)..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर (न्यायिक) रथापना / लेखा / बजट / पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, न्यायिक / सतर्कता / आई. एल. आर एवं एक्जाम महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
14. सहायक रथापना / अवकाश / लेखा / बजट / पेंशन / सेवा पुस्तिका / वेतन पत्रक / डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. उपरिथित लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
16. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
17. श्रीमती स्वाती जोशी, पन्ति स्व. श्री महेश जोशी, 16-ए, वैशाली नगर, इन्दौर, 452009 (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

/ ग्रीष्मीय / सी-३


(प्रियदर्शन विधायिका
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
पात्र